**(iii) Denial of property rights in land to the original inhabitants in Mirzapur district of U.P. due to amendment in Indian Forest Act.**

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्प्रति देश के उन समस्त राज्यों में जिनमें वन क्षेत्र है, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के सन् 1980 में संशोधन होने के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और वह यह कि वहां के मूल निवासियों को भूमि बन्दोबस्त की कार्यवाही में जहाँ एक ओर भौमिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वहीं पर सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में विकास के कार्यों में भी अवरोधक उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जहां पर भूमि बन्दोबस्त की कार्यवाही सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वहां वर्ग 4 तथा वर्ग 10 व भूमि पर भौमिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है और बहुत से मूल निवासियों को उद्वासित भी किया जा रहा है। यहां तक कि उनके घर, कृषि की भूमि, बगीचे, बन्धी तथा कुयें आदि वन सीमा में किए जा रहे हैं और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा चार से लेकर धारा बीस तक का प्रकाशन करके मूल निवासियों को भूमि के कब्जे से बेदखल किया जा रहा है, जिससे घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। तीन वर्षों में अब तक जितने विकास के कार्यक्रम, जैसे बन्दियों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण पर वन विभाग ने रोक लगा दिया है। परिणामस्वरूप सरकार की बहुत सी योजनायें बेकार हो रही हैं और यदि इनको कुछ वर्षों में शुरू भी किया जायेगा, तो तब तक उनकी लागत बढ़ चुकी होगी और जनता भी समय से विकास कार्यों के लाभ से वंचित हो चुकी होगी।

इसलिये केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस समस्या के निराकरण के लिये अविलम्ब कदम उठाए जायें।

**(iv) Need for probe through C.B.I. to investigate into possible links between smugglers and workers of Ghazipur Opium Factory.**

**श्री जैनल बशर** (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों गाजीपुर में गार्फिया की स्मगलिंग के कई गिरोह पकड़े गये। दूसरे स्थानों पर भी ऐसे गिरोह पकड़े गये जिसका सम्बन्ध गाजीपुर से था। गाजीपुर में अफीम का एक कारखाना है, जहाँ गार्फिया बनाई जाती है। स्मगलिंग से इस अफीम के कारखाने का गहरा सम्बन्ध है। चूंकि इधर गाजीपुर की पुलिस काफी सक्रिय हो गई है, इसलिए स्मगलिंग के करने वाले पकड़ में आ गये हैं। वास्तविकता यह है कि स्मगलिंग का यह धंधा बहुत दिनों से चलता आ रहा है।

इन गिरोहों के पकड़े जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी अफीम फैक्टरी में काम करने वाले कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से गहरी साँठ-गांठ हो सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात की सी बी आई से जांच कराए कि पकड़े गये स्मगलरों और अफीम के कारखाने में काम करने वालों से क्या सम्बन्ध है और ऐसी भी व्यवस्था करें कि अफीम के कारखाने से गार्फिया की स्मगलिंग बन्द हो सके।

**(v) Retrenchment of workers connected with Badajamda Sector (Orissa). Due to M.M.T.C.'s refusal to purchase iron ore.**

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : 15,000 workers connected with the Iron ore mines of Badajamda sector in the districts of Keonjhar and Sundargarh, Orissa have been thrown out of employment in the last one year due to the refusal of the Mineral and Metal Trading Corporation to purchase ore from this area. In the current financial year, the situation has been further aggravated and another 25,000 workers are going to be retrenched following the decision taken by 38 mines owners in the above two districts to close down 49 mines managed by them. The decision of MMTC and the mine owners is detrimental not only to the mine owners workers but for the economy of the State. The State Government will lose only in Joda mining office jurisdiction, a minin revenue of 1 Crore 69 Lakhs. The tota